न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2024/217

मुकदमा नम्बर 74/2024 दायर दिनांक–30.05.2024

1. देवीलाल पुत्र भागुराम
2. श्रीराम पुत्र भागुराम
3. सुनिता देवी पुत्री भागुराम
4. अनिता देवी पुत्री भागुराम
5. नौरंग पुत्र भागुराम
6. राकेश पुत्र बिनवा
7. प्रदीप पुत्र बिनवा
8. ख्यालीराम पुत्र किशना समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. अशोक पुत्र बनवारीलाल
2. गुलाबी देवी पत्नी बोदुराम
3. जीवा पुत्री बनवारीलाल
4. नानची देवी पत्नी बनवारीलाल
5. बुलकेश पुत्री बनवारीलाल
6. बाबुलाल पुत्र बनवारीलाल
7. बाली देवी पत्नी कुरडाराम
8. शारदा पुत्री बनवारीलाल
9. सुगनी देवी पत्नी रूडाराम
10. सुगनी देवी पत्नी खम्माराम
11. सलोचना पुत्री बनवारीलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देवीपुरा तन चिराना ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
12. बीरबल पुत्र कालू
13. प्रभु पुत्र भागुराम
14. श्याना देवी पत्नी भागु
15. जमना पुत्री किशना
16. बरजी पुत्री किशना
17. महाकोरी पुत्री भागुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
18. किस्तुरी देवी पत्नी घीसाराम

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)

19. शांति देवी पत्नी परतुराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
20. घीसाराम पुत्र पोकर
21. भगवती देवी पुत्री परतुराम
22. मक्खनलाल पुत्र परतुराम
23. रोहिताश पुत्र परतुराम
24. लालचन्द पुत्र परतुराम
25. शांति देवी पत्नी परतुराम
26. सरोज पुत्री परतुराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
27. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

—अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : — श्री मुकेश जांगीड
अनावेदक सं. 1,2,4,7,9,10,20,24 —श्री अमर सिंह
अनावेदक सं. 3,5,6,8,11,12 लगा. 19,21 लगा. 23,25,26,— एक पक्षीय
अनावेदक सं. 27 — पैरो. राज.

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

दिनांक —10.03.2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 291 की भूमि खसरा नं. 1521 रकबा 7.95 है0 में पहुॅच के लिये प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दुओं लाल रंग से प्रदर्शित 5 मीटर चौडा रास्ता अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 26 की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिरान की सरहद में भूमि खसरा नं. 1524,1522,1066,1067,1717/1523 में से दिलवाया जावे।
प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 3,5,6,8,11,12 लगा. 19,21 लगा. 23,25,26 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 27 की और से पैरो. राज. उपस्थित हुये। अनावेदक सं. 1,2,4,7,9,10,20,24 की और से वकील श्री अमर सिंह शेखावत ने जवाब निम्न प्रकार से पेश किया:—

यह है कि आवेदक द्वारा गलत नजरी नक्शा बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रा. पत्र पेश किया है। जबकि आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 1521 की पश्चिमी दिशा में सटकर भूमि खसरा नं. 1517,1518 की दक्षिणी है उसी की सीमा के सहारे—सहारे आता जाता है जो लोहार्गल से नवलगढ आने जाने वाली मुख्य सडक पर खुलता है। साथ ही साथ नजदीकी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

रास्ता भी वही है। ए से बी बिन्दू तक दिखाये रास्ते पर मकानात इत्यादी बने हुए है। भूमि खसरा नं. 1517,1518 के दक्षिणी सीमा से पगडण्डी के रूप में आता है उक्त रास्ता नजदीकी है जिसको प्राप्त करने के लिये प्रा. पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना चाहिए था जो नही कर अनावेदक को जानबुझकर पेरशान करने के उद्वेश्य से प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जावे।

भूमि खसरा नं. 1524 के दक्षिणी हिस्से पर पक्के निर्माण को आवेदकगण तुडवाना चाहते है इसी उद्वेश्य की पूर्ति के लिये बाला–बाला मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसलिये प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

तहसीलदार नवलगढ से पत्रांक/राजस्व/2025/83 दिनांक 7.02.2025 को मौका रिपोर्ट पेश निम्न प्रकार से पेश हुई।

आवेदक खातेदारों को अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। इस प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम व निकटतम रास्ता नही है। खातेदार को अपनी जोत तक पहुॅचने के लिये ग्रेवल सडक से भूमि खसरा नं. 1524 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू ए से बी स्थान की लम्बाई 40 मीटर x 5 मीटर = 200 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1717/1523 में पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बी से सी स्थान की लम्बाई 39 x 5 मीटर = 195 वर्ग मीटर, बिन्दू सं. सी से डी स्थान भूमि खसरा नं. 1522 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे लम्बाई 89 x 5 मीटर = 445 वर्ग मीटर भूमि रास्ते मे आयेगी। बिन्दू सं. ए से डी तक किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही है। आवेदक खातेदार को रास्ते की परमआवश्यक्ता है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने अपने जवाब मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत पत्रांक/राजस्व/2025/83 दिनांक 7.02.2025 अनुसार आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम व निकटतम रास्ता नही बनता है। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क एक समरी ट्रायल है, वकील अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उजर उक्त प्रा. पत्र पर प्रभावी नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट पोषणीय व न्योयोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/83 दिनांक 7.02.2025 अनुसार पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 291 की भूमि खसरा नं. 1521 रकबा 7.95 है0 में आने जाने के लिये आवेदक खातेदार को ग्रेवल सडक से भूमि खसरा नं. 1524 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू ए से बी स्थान की लम्बाई 40 मीटर x 5 मीटर = 200 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1717/1523 में पूर्वी सीमा के

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झु

सहारे–सहारे बी से सी स्थान की लम्बाई 39 X 5 मीटर = 195 वर्ग मीटर, बिन्दू सं. सी से डी स्थान भूमि खसरा नं. 1522 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे लम्बाई 89 X 5 मीटर = 445 वर्ग मीटर भूमि रास्ते मे गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम कर दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित भूमि ख.नं. 1524,1717/1523,1522 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/83 दिनांक 7.02.2025 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके पर नियमानुसार अवरोध हटाकर,रास्ता कायम कर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़